

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.11(6)नविवि / फलौदी / 2024

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को फलौदी (जिला—फलौदी) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान, क्षेत्रिज वर्ष—2043 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैः—

क्र.सं.	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील का नाम
1.	फलौदी	PHALODI	फलौदी
2.	खींचन	KHEECHAN	फलौदी
3.	डेडीसरा	DEDISARA	फलौदी
4.	जुनेजो की ढाणी	JUNEJO KI DHANI	फलौदी
5.	गज्जां	GAJJAN	फलौदी
6.	लोर्डिया	LORCIYA	फलौदी
7.	मोखेरी	MOKHERI	फलौदी
8.	बापिणी	BAPINI	फलौदी
9.	एका भाटीयान	EKA BHATIYAN	फलौदी
10.	मोहरा	MOHRA	फलौदी
11.	बिठड़ी	BITHRI	फलौदी
12.	सालोनी खेताणीनगर	SALONI KHETANINAGAR	फलौदी
13.	कचौलिया नाडा	KACHOLIYA NADA	फलौदी
14.	कोटेचो की ढाणी	KOTECHO KI DHANI	फलौदी

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलक्टर, फलौदी।

RajKaj Ref
8001739



6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
10. आयुक्त, नगर परिषद, फलौदी (जिला फलौदी)।
11. प्रौग्नामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाइन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम